विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 14 जनवरी, 2011 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौवालीसवीं (44वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2011 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 580 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 374 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड में 1,76,148.41 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 6,20,824 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, एसईजेड से लगभग 2,20,711 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 121.40 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में निर्यात 1,39,841 करोड़ रुपए के आसपास है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में निर्यात की तुलना में 55.8 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 44.1: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में 10.1360 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.1360 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में 10.1360 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में 33.2545 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में साफ्टवेयर एंड हार्डवेयर निर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 33.2545 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में **33.2545**हेक्टेयर के क्षेत्रफल में साफ्टवेयर एंड हार्डवेयर निर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 44.2: सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

(i) देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में 102 के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा एयरोस्पेस उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में 102 के क्षेत्रफल में एयरोस्पेस उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 44.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव के पास, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23.46 एकड़ (9.5 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं के साथ आईटी / आईटीईएस अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स एक्वव्यू रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया कि सह विकासक करार में सर्विस अपार्टमेंट और / या स्टार होटल और / या आयकॉनिक रेजीडेंशियल टावर के किसी अन्य फार्मेट द्वारा बिक्री, पट्टा या अंतरण का प्रावधान है। विकास आयुक्त ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि विकासक ने इस संबंध में विकास आयुक्त द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(iii) राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, हिंजवाड़ी, फेस 2, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एकल स्रोत पर विद्युत प्रदान करने तथा वाष्प अवचूषण मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट संस्थापित और शुरू करने के लिए एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि पावर प्लांट केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए होगा।

मद संख्या 44.4: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) ग्राम संथल, तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सुविधाओं की वास्तविक स्थापना स्थानीय नगर नियोजन के मानदंडों पर आधारित होगी तथा यह कि अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों से संबद्धता के साथ चरणबद्ध ढंग से निर्माण अनुमत होगा :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ग्राह्य मात्रा (वर्गमीटर में)	पहले अनुमत की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सर्विस अपार्टमेंट	72	66.85	4813.2	11540.88	2246.59	9294.29
		48	60	2880			
		28	60	1680			
			कुल	**9373.2** वर्गमीटर			
2.	स्कूल						

(क)	क्लासरूम	56	59.45	3329.2	19234.8 *(7156.8+12330)*	475.99	18758.81
(ख)	गतिविधि कक्ष - टाइप 1	7	116.50	815.5			
(ग)	गतिविधि कक्ष - टाइप 2	7	115.70	809.9			
(घ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 1	7	44.38	310.66			
(ङ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 2	7	25.36	177.52			
(च)	शौचालय ब्लॉक	7	82.36	576.52			
(छ)	कोरिडोर	7	162.50	1137.50			
			कुल	**7156.8**			
3.	प्रशिक्षण संस्थान						
(क)	क्लासरूम	96	66.5	6384			
(ख)	गतिविधि कक्ष - 1	8	85.8	686.4			
(ग)	गतिविधि कक्ष - 2	8	110	880			
(घ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 1	8	33.6	268.8			
(ङ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 2	8	26.75	214			
(च)	शौचालय ब्लॉक	8	134.4	1075.2			
(छ)	कोरिडोर	8	181.45	1451.6			
(ज)	मल्टीपर्पज रूम	1	1370	1370			
			कुल	**12330** वर्गमीटर			

(ii) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि एसईजेड का क्षेत्रफल मात्र 10.43.10 हेक्टेयर है और यह भी कि एसईजेड अहमदाबाद शहर से काफी दूरी पर नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नीति के अनुसार वे एसईजेड के भेष में रियल एस्टेट की गतिविधि को रोकने के लिए छोटे एसईजेड जैसे कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड में आवासीय अपार्टमेंट / वाणिज्यिक स्पेस स्थापित करने को हतोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकृत प्रचालनों को अस्वीकार कर दिया।

(iii) मुप्पिरेड्डीपल्ली गांव, टूपरान मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
(1)	(2)	(3)	(5)

1.	बॉयलर – 6 टीपीएच, 10.5 बार, एफओ फायर्ड (वितरण के लिए इंसुलेटेड पाइप सहित गर्म पानी और वाष्प का सृजन)	एक सेट	एक सेट
2.	लांड्री वाशिंग एंड सर्विसेज	एक लॉट	एक लॉट
3.	कंप्रेस्ड एयर प्रदान करने के लिए 300 सीएफएम की क्षमता का स्क्रू टाइप एयर कंप्रेशर	2	2

मद संख्या 44.5: क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती से संबंधित अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब लाने की आवश्यकता होती है जब न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि भविष्य में अधिसूचित क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कटौती वाले अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब तक लाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि क्षेत्रफल में परिवर्तन से न्यूनतम संस्पर्शी भूमि की आवश्यकता पूरी होती है। उपर्युक्त श्रेणी में न आने वाले सभी मामलों को विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए।

(i) सत्यावेदु और वर्दायु पलेम मंडल, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1538.123 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित उपर्युक्त एसईजेड से 379.328 हेक्टेयर भूमि की कटौती के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो विमुक्त भूमि के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 44.6: विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पंडा, तहसील माहू, जिला इंदौरा, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेडिकैप्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पांडा, तहसील माहू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेडिकैप्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के

प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) 141.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को 141.65 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल में से 40.80 हेक्टेयर को विमुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी और अब उन्होंने 100.85 हेक्टेयर के शेष क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 100.85 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) 14.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने देहरादून, उत्तराखंड में 14.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 44.7 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) खोपोली, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स माडर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने खोपोली, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स मार्डर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

मद संख्या 44.8 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **12** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया **:**

(i) मन्नूर वलारपुरम गांव, श्रीपेरम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जे मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) सिपकॉट औद्योगिक परिसर, रानीपेट, फेज 3, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग गुड्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध

(iii) जयपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

(iv) जयपुर, राजस्थान में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

(v) जमदोली गांव, जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) बीकानेर, राजस्थान में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) आदिबाटला गांव, इब्राहितपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(ix) छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड का अनुरोध

(x) कुरूकावला गांव, रेनीगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

(xi) सर्पावरम गांव, काकीनाडा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

(xii) फेज 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, काराकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 44.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **5** (पांच) मामलों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) क्रुशनूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

(ii) अतिरिक्त लातुर, जिला लातुर, महाराष्ट्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

(iii) नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

(iv) बेहरामपुर गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **05** नवंबर, **2010** के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 44.10 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 6 अप्रैल 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए तीसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 44.11: सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई।

(i) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स औरंगाबाद एसईजेड लिमिटेड (7 जनवरी 2011 से)

(ii) नागरपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नागपुर मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड लिमिटेड (9 जनवरी 2011 से)

मद संख्या 44.12: मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का संयंत्र की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पावर प्लांट की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने के लिए मैसर्स इंडिया बुल्स रियलटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 44.13: मैसर्स दाहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जिला भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड नोट किया कि मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (टीईएल) यूनिट के रूप में, न कि सह विकासक के रूप में एसईजेड में विद्युत का उत्पादन कर रहा है और यह कि विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर एसईजेड नियमावली के नियम 19 (2) के पहल परंतुक के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद मामले को यूनिट अनुमोदन समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया।

मद संख्या 44.14: क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में ''जैव प्रौद्योगिकी'' के लिए एसईजेड के सेक्टर की बायोटेक एवं फार्मास्युटिकल उत्पादों को शामिल करते हुए ''जैव फार्मास्युटिकल्स'' के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकास आयुक्त, कोचीन और क्षेत्रीय सीमा शुल्क आयुक्त यूनिट का दौरा करें तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें। तद्नुसार, अगली बैठक के लिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) ''टेक्सटाइल उत्पाद, असेसरीज तथा हस्तशिल्प की सभी मद'' को शामिल करके ''हस्तशिल्प'' के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तय किया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाए।

मद संख्या 44.15 : एसईजेड से दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुमत करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यूनिट के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) दालों का आयात भारत के बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में दालों के निर्यात पर रोक जारी रहने तक डीटीए से कोई खरीद नहीं की जाएगी।
(ii) इस संबंध में तंत्र स्थापित किया जाएगा कि यूनिट द्वारा डीटीए से कच्चे माल के प्रापण की कड़ाई से जांच हो।

ये शर्तें अनुमोदन बोर्ड द्वारा पहले अनुमोदित सभी समान प्रस्तावों पर लागू होंगी।

मद संख्या 44.16: मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाल प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) दालों का आयात भारत के बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में दालों के निर्यात पर रोक जारी रहने तक डीटीए से कोई खरीद नहीं की जाएगी।

(ii) इस संबंध में तंत्र स्थापित किया जाएगा कि यूनिट द्वारा डीटीए से कच्चे माल के प्रापण की कड़ाई से जांच हो।

मद संख्या 44.17: ट्रांसशिपमेंट तथा अन्य कार्गो के भंडारण के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक पहले प्रस्तावित यूनिट की स्थापना के लिए यूनिट अनुमोदन समिति से संपर्क करे और इसके बाद आवश्यक होने पर प्रतिबंधित मदों के व्यापार के लिए अनुमति हेतु अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

मद संख्या 44.18: चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 दिसंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मास्टेक लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

(ii) 28 नवंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

(iii) 31 दिसंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस बीएसवी फर्मा प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जायडस इनफ्रास्क्ट्रचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में विकसित किए जा रहे फर्मास्युटिकल एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए इन यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 44.19: मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज, केएएसईजेड के मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाने / नवीकरण के लिए के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट आयातित स्क्रैप / पुराने एवं प्रयुक्त मशीनरी आइटम से रिसाइकल आइटम के निर्माण का कार्य करती है तथा टिप्पणी की कि एसईजेड में प्रचालन से ऐसी यूनिटों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि यूनिट ने पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कोई कार्य नहीं किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।''

मद संख्या 44.20: चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुरोध

(i) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विमानन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में चेन लिंक्ड फेंसिंग तथा चिनाई दीवार के निर्माण के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध पर विचार किया जिन्होंने एसईजेड की तीन दिशाओं में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार चिनाई की दीवार खड़ी करने की योजना बनाई है और चौथी दिशा जो सामने वाली दिशा होगी, के लिए उन्होंने भावी विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चेन लिंक फेंस का प्रस्ताव किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि यद्‌यपि भावी विस्तार की बात सराहनीय है परंतु विकासक प्री-फैब दीवार खड़ी करने पर विचार कर सकता है जिसे भविष्य में उस समय हटाया जा सकता है जब एसईजेड का विस्तार होगा।

(ii) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर शीर्ष 60 सेंटीमीटर की कटीले तार की फेंसिंग के साथ 240 सेंटीमीटर ऊंची चेन लिंक्ड फेंसिंग के निर्माण के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को प्रस्ताव पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। विकासक ने बताया कि एसईजेड में एक प्राकृतिक आवाह क्षेत्र है जिससे पानी बहता है और एसईजेड की चारदीवारी से बाहर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। यदि चिनाई की दीवार खड़ी की जाएगी तो सिंचाई के लिए पानी का प्रवाह रुक जाएगा इससे किसानों को कठिनाइयां होंगी जो पानी के इस स्रोत पर निर्भर हैं। तद्‌नुसार, विकासक ने दीवार के उस भाग के लिए, जो चैनल से गुजरती है, सिंकिंग पाइल तथा पाइल पर दीवार खड़ी करने का प्रस्ताव किया है ताकि वाटर चैनल प्रभावित न हो। समुचित रूप से विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त द्‌वारा समुचित निगरानी के साथ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उनके द्‌वारा योजना की प्रस्तुति के अधीन विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 44.21: बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में निर्माण की गतिविधियों के दौरान अस्थायी द्‌वितीय गेट के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्‌वारा निर्माण की योजना को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए पहले से मौजूद एक गेट के अलावा प्रवेश / निकास के लिए एक अतिरिक्त अस्थायी गेट के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।"

मद संख्या 44.22: तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्‌वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अपनी मूल कंपनियों द्‌वारा निर्मित गियर बाक्स की मरम्मत करने के अलावा यूनिट ने अन्य विनिर्माताओं द्‌वारा निर्मित गियर बाक्स यूनिटों की रिपेयर रिकंडिशनिंग करने का भी प्रस्ताव किया है। यह एसईजेड के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि देश में इस तरह के हाइटेक उपकरण की मरम्मत / रिकंडिशनिंग का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तद्‌नुसार निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड तथा क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्राधिकारी यूनिट के परिसर का दौरा करेंगे और मुद्‌दे का

मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे तथा कोई संभावित समाधान ढूंढ़ने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 44.23: अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की एक यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता का प्रतिनिधि अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक तक आस्थगित करने की मांग की। तद्नुसार अपील आस्थगित कर दी गई।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स मरवाल इंडिया, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पर्याप्त समय प्रदान किए जाने के बावजूद सूरत एसईजेड की दोनों यूनिटों ने ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है कि वे विनिर्माण शुरू करेंगी और निर्यात करना शुरू करेंगी। इसके अलावा अपीलों का बचाव करने के लिए दोनों यूनिटों के प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुए थे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(iv) एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर विचार किया तथा अपीलकर्ता को अपना मामला रखने का अवसर भी प्रदान किया। अपीलकर्ता ने बताया कि शुरू में वे एक्स्ट्रा लार्ज साइज के टायर बना रहे थे जिनकी डीटीए में कोई मांग नहीं है इसलिए वे उनका निर्यात करते थे। वे टायर, ट्यूब, फ्लैप एवं रिम सहित पूर्ण असेंबली के लिए विदेशी बाजारों से अनुरोध प्राप्त कर रहे हैं। यूनिट ने टायर से भिन्न मदों को शामिल करने के लिए अपने एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से संपर्क किया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि इन कंपोनेंट की असेंबली निर्माण की परिभाषा में शामिल नहीं है। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि विनिर्माण में खरीदे गए कंपोनेंट की असेंबली भी शामिल होती है जिनको अंततः मूल्यवर्धित उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता ने बताया कि यह अपील मंडप कीपर्स सर्विस पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए है जो एसईजेड के लिए समर्पित अतिथिगृह की देखभाल करते हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अतिथि गृह एसईजेड के अंदर स्थित नहीं है और इसलिए इस मामले में सेवा कर की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 44 24 (क) : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का रिफंड

मद संख्या 44.24 (ख) : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर से छूट

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों मुद्दों पर टीआरयू की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इस समय यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत की जा रही है तथा उपयुक्त स्तर पर क्लियर हो जाने पर आगे की कार्रवाई का उल्लेख किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 44 .25 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 44 .26: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) पवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया कि प्रस्ताव की जांच के लिए उनको कुछ और समय चाहिए और उन्होंने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 44.27: संस्पर्श में छूट

(i) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, झर्सुगुडा, उड़ीसा का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड की रिपोर्ट पर विचार किया जिन्होंने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ तीन विकल्प प्रस्तुत किए हैं। विकल्प 1 एक नई रेल लाइन बिछाने / मौजूदा लाइन को रिएलायन करने / मौजूदा लाइन का विस्तार करने से संबंधित है - इन सभी में बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त लागत शामिल है। विकल्प 2 दोनों ओर रेलवे लाइन पर बैरिकेड बनाने और आरओबी / लेवल क्रासिंग द्वारा प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण के बीच सन्निकटता स्थापित करने से संबंधित है - यह विकासक के लिए मनपसंद रास्ता है तथा विकासक ने कहा कि वे केवल ग्रीन बेल्ट का विकास करने के लिए रेलवे लाइन की दूसरी ओर पड़ने वाले संपूर्ण गैर प्रसंस्करण का प्रयोग करें तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कोई कर लाभ भी प्राप्त नहीं करेंगे। विकल्प 3 संपूर्ण गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को विमुक्त करने से संबंधित है। इसमें ड्यूटी का भुगतान किए बगैर खरीदी गई तथा एसईजेड के इस भाग में भंडारित सभी प्लांट निर्माण सामग्री पर ड्यूटी के भुगतान से संबंधित समस्या शामिल है। प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थान की कमी के कारण शिफ्टिंग की प्रक्रिया मुश्किल है तथा इसमें लागत भी शामिल है क्योंकि वहां भंडारित उपकरण बहुत वजनी हैं।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक ने किसी अनुमोदन के बगैर रेलवे लाइन का निर्माण किया है और इसलिए सरकार को निर्विवादित तथ्य प्रस्तुत किया है। सबसे मनपसंद रास्ता संपूर्ण गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को विमुक्त करना है जिसके लिए विकासक रेलवे लाइन के निर्माण पर किसी लाभ का दावा नहीं करेगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रेलवे लाइन के साथ संपूर्ण गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भंडारित निर्माण सामग्री, उपकरण आदि के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने के बाद किया जाएगा तथा तब तक उस क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ उपलब्ध नहीं होगा। विकास आयुक्त तथा स्थानीय राजस्व प्राधिकारी इसके लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करेंगे।

(ii) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड ने मद को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 44.28: एसईजेड की यूनिटों द्वारा प्रतिबंधित मद ''कॉटन यार्न'' की खरीद की कार्यविधि पर स्पष्टीकरण के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड का अनुरोध

मद संख्या 44.34: काटन यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध - एसईजेड में गारमेंट विनिर्माण यूनिटों को डीटीए से निर्यात के लिए छूट

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि डीटीए से कॉटन यार्न की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यदि उसे निर्यात के लिए फैब्रिक में परिवर्तित किया जाता है। निर्यात यूनिटों को स्वयं यार्न के निर्यात में ही प्रतिबंधित किया गया है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड तथा फाल्टा एसईजेड में ऐसी अन्य तीन यूनिटों तथा केएएसईजेड में एक यूनिट को डीटीए से कॉटन यार्न का प्रापण करने के लिए इस शर्त के अधीन अनुमति प्रदान की कि इसका निर्यात यार्न के रूप में नहीं किया जाएगा तथा निर्यात के लिए फैब्रिक / गारमेंट में परिवर्तित किया जाएगा।

मद संख्या 44.29 : गांधीनगर गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास विचार के लिए भेज दिया और केवल असहमति के मामले में इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाया जाना चाहिए।

मद संख्या 44.30: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित संबद्ध उद्योगों को शामिल करके ''खाद्य प्रसंस्करण'' के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य पर विचार किया और एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने से संबंधित अपने पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं पाया।

मद संख्या 44.31 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 1 (एक) विकासक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) लिंगमपल्ली एवं मेलासंगम गांव, मुनीपल्ली मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 44.32 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 4 (चार) मामलों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) एन नरसापुरम गांव, नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हिटरो इनफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 44 .33 : इक्विटी के अंतरण / परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए विकासक मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूसंश्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव एसईजेड की बिक्री के लिए है जो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अंतरण के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं और चूंकि विलय एवं अधिग्रहण के अंग के रूप में भविष्य में ऐसे प्रस्तावों के आने की संभावना है, कोई सोची समझी राय अपनाना उचित है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तय किया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाए।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 44.35: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मोहाली, पंजाब में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

गतिविधि	अनुरोध किया गया क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकासक की कुल पात्रता	पहले अनुमत की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
वाणिज्यिक - ऑफिस कम्प्लेक्स	4500	4047.5 वर्गमीटर	शून्य	4047.5 वर्गमीटर
सुविधाएं : (i) एसईजेड विकासक कार्यालय	2000	4047.5 वर्गमीटर	शून्य	2000 वर्गमीटर
(ii) केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए कैंटीन / कैफेटेरिया	650		शून्य	650 वर्गमीटर

***